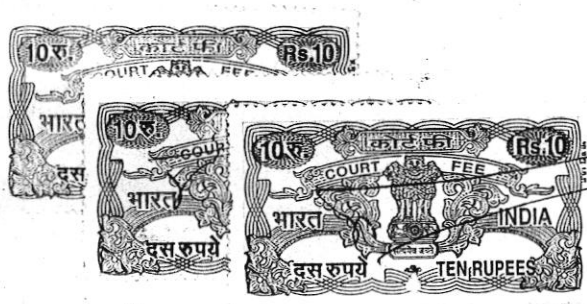

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

/रा.नि./राजगढ़/भू.रा./2018/

निगरानी -3020/2018/राजगढ़/भू.रा.

(1) **श्याम** पुत्र स्व0श्री मांगीलाल गुर्जर
(2) **सुशीलाबाई** पुत्री स्व0श्री मांगीलाल गुर्जर
निवासीगण–ग्राम गेहूँखेड़ी, तह0–ब्यावरा,
जिला–राजगढ़ (म0प्र0) ––– **निगरानीकर्तागण**

विरूद्व

(1) **रूकम सिंह** पुत्र स्व0श्री मांगीलाल गुर्जर **(मृत)**

01– **हरीओम** पुत्र स्व0श्री रुकम सिंह
02– **जसमंत** पुत्र स्व0श्री रुकम सिंह
03– **राजेश** पुत्र स्व0श्री रुकम सिंह
04– **विष्णु** पुत्र स्व0श्री रुकम सिंह
05– **सुमित्राबाई** पुत्री स्व0श्री रुकम सिंह
06– **आराजना (आराधना)** पुत्री स्व0श्री रुकम सिंह
निवासी–ग्राम गेहूँखेड़ी, तहसील–ब्यावरा,
जिला राजगढ़ (म0प्र0)
07– **रामकला बाई** पुत्री स्व0श्री रुकम सिंह
पत्नि श्री छबी लाल
निवासी–ग्राम मोई, तहसील–ब्यावरा,
जिला राजगढ़ (म0प्र0)
08– **चंदा बाई** पुत्री स्व0श्री रुकम सिंह
पत्नि श्री चन्दर सिंह दांगी
निवासी–ग्राम ढकोरा, तहसील–ब्यावरा,
जिला राजगढ़ (म0प्र0)

(2) **बादाम बाई** पुत्री स्व0श्री मांगीलाल गुर्जर
निवासीगण–ग्राम गेहूँखेड़ी, तह0–ब्यावरा,
जिला–राजगढ़ (म0प्र0) ––– **प्रत्यर्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र0क्रं0–65/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2018 जिसके द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ब्यावरा

निरंतर...2....

निरंतर...3....

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक अध्यक्ष / निगरानी / राजगढ़ / भूरा / 2018 / 3020

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 65 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.03.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकार्ड के विरूद्व आदेश पारित किया गया है एवं इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदांज किया है कि धारा–178 के अंतर्गत पिता अपने पुत्रों को स्वेच्छा से बटवारा कर सकता है। 3– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम गेहूं खेडी की प्रश्नाधीन वादित भूमि का तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर बटवारा किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा जिला राजगढ़ द्वारा इस कारण निरस्त कर दिया गया है कि अपीलार्थी सहखातेदार न होते हुये भी पंजी पर बटवारा किया गया है, तहसीलदार द्वारा पंजी पर बटवारा करने में त्रुटि की गई थी, इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार	

की गई है जिसे अपर आयुक्त भोपाल द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः अपर आयुक्त भोपाल के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 65/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 31.03.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य